प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक
मैस्कॉट पब्लिक प्रा0स्कूल,शादीपुर,ब्लाक–ऑकू
जनपद–बिजनौर।

पत्रांकःबेसिक / मान्यता / 1013-15 / 2008–09.   दिनांक 02/07/09

विषयः– विद्यालय को मिंडल स्तर (कक्षा–1 से 8 तक) की स्थायी मान्यता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके विद्यालय को मिंडल स्तर (कक्षा–1 से 8 तक) की नवीन स्थायी मान्यता दिये जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को मिंडल स्तर (कक्षा–1 से 8 तक) की नवीन स्थायी मान्यता शासनादेश संख्या 1837 / 15–98–18(एस)–7 / 89 दिनांक 10 सितम्बर,1998 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :–

1–विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे के0जी0,नर्सरी आदि का संचालन न किया जाये।
2–विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता का पूर्णतः पालन किया जाये।
3–विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने अत्यावश्यक है।
4–छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाये।
5–विद्यालय में विभाग / उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम / पुस्तकें ही पढ़ाई जाये।
6–विद्यालय में छात्रों को हिन्दी माध्यम से ही शिक्षा दी जाये।
7–विद्यालय में अध्यापक / अध्यापिकायें प्रशिक्षित की नियुक्त किये जाये।
8–विद्यालय में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
9–यह विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से सम्बद्ध नहीं होगा।

यदि उक्त निर्देशों / विभागीय आदेशों एवं इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है,तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

भवदीय

(वरूण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ0सं0बेसिक /   / 2008–09   तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद–बिजनौर।
2–संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

(वरूण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।